राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक 10(8) ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2010 — जयपुर, दिनांक 2 MAR 2010

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत स्वीकृत पदों के संबंध में।**
संदर्भः **कार्यालय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 26.02.2010**

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जारी आदेशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

- जिला स्तर पर सृजित पदों में कम संख्या 3 पर एवं पंचायत समिति स्तर पर सृजित पदो के क्रम संख्या 2 पर अंकित सहायक अभियंता/वरिष्ठ तकनीकी सहायक के स्थान पर केवल सहायक अभियंता तथा पद के नियोजन की प्रकृति में केवल प्रतिनियुक्ति पढा जावे।
- प्रथम चरण के 6 जिलों में स्वीकृत कनिष्ठ लिपिक के पद की अवधि आगे नहीं बढाई गई है। इन पदों पर पूर्व से कार्यरत कार्मिकों के अनुभव को देखते हुए यदि उनका कार्य संतोषजनक है तो इन कार्मिकों कों डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अथवा ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पद पर संविदा आधार पर अनुबंधित कर लिया जावे।

भवदीय,

(बद्रीनारायण)
अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)